NBSA
NEWS BROADCASTING STANDARDS AUTHORITY

स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए दिशा-निर्देश

एनबीए की रिपोर्टिंग सम्बन्धी नीति संहिता और प्रसारण मानक तथा घटनाओं की रिपोर्टिंग करने के संबंध में विशिष्ट दिशा निर्देश में निहित स्व-नियमन के सिद्धांतों के क्रम में, सदस्य न्यूज़ चैनल 'स्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन यह निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए:

1. कोई भी स्टिंग ऑपरेशन न्यूज़ चैनल की संपादकीय टीम के प्रमुख की पूर्व अनुमति एवं उसकी निगरानी के बगैर नहीं किया जा सकता है, और स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ वह (संपादकीय टीम का प्रमुख) भी इसके हर परिणाम के लिए जिम्मेदार होगा।
2. स्टिंग ऑपरेशन केवल तभी किया जा सकता है, जब वह जनहित में हो।
3. स्टिंग ऑपरेशन केवल किसी ग़लत काम का पर्दाफ़ाश करने के लिए ही किया जाना चाहिए।
4. स्टिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल लोगों के निजी जीवन में अकारण या अनावश्यक ताक-झाँक करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
5. स्टिंग ऑपरेशन केवल तभी किया जा सकता है जब उस सूचना या समाचार को प्राप्त करने या रिकॉर्ड करने का अन्य कोई भी प्रभावी और खुला या प्रकट तरीक़ा न सम्भव हो।
6. स्टिंग ऑपरेशन को करने में न्यूज चैनल किसी व्यक्ति को ऐसा कोई ग़लत काम करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा, जिसे करना उस व्यक्ति ने ख़ुद नहीं सोचा हो।
7. स्टिंग ऑपरेशन को करने के लिए एक साधन के रूप में सेक्स या अश्लील अनैतिक व्यवहार का इस्तेमाल या अन्य ग़ैर-क़ानूनी कार्य नहीं किये जाने चाहिए।
8. स्टिंग ऑपरेशन की संपादित और गैर-संपादित आॅडियो और वीडियो फुटेज सहित पूरी रिकॉर्डिंग को 90 दिन तक अवश्य संरक्षित रखा जाना चाहिए। किसी मामले में आवश्यक होने पर यह अवधि इससे अलग भी हो सकती है।
9. स्टिंग ऑपरेशन की संपादित और गैर-संपादित आॅडियो और वीडियो फुटेज सहित पूरी रिकॉर्डिंग के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़, हेरफेर, बीच में कुछ जोड़ने, बदलने, किसी प्रकार विकृत करने, रूप बदलने, या 'मरम्मत' कर ठीक करने जैसे कार्य नहीं किये जाने चाहिए जिससे उसके सन्दर्भ, अभिप्राय और अर्थ बदल सकते हों।
10. स्टिंग ऑपरेशन के प्रभारी को स्टिंग ऑपरेशन की प्रगति के विभिन्न चरणों के दौरान हर चरण के साथ-साथ तब तक के सारे ब्यौरे लिखित रूप में दर्ज करने चाहिए और इस लिखित रिकार्ड को 90 दिनों की अवधि के लिए या ज़रूरत पड़ने पर किसी मामले में इससे अलग अवधि के लिए संरक्षित रखा जाना चाहिए।
11. स्टिंग ऑपरेशन को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 5 के प्रावधानों या केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 के "कार्यक्रम संहिता' ' (प्रोग्राम कोड) से संबंधित नियम 6 या भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम की धारा 24 सहित देश में लागू किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
12. स्टिंग ऑपरेशन को तभी प्रसारित करना चाहिए जब गलत कार्य करने वाले को प्रथम दृष्टया दोषी माने जाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हों।
13. यदि कोई स्टिंग ऑपरेशन झूठा या मनगढ़ंत पाया गया, तो स्टिंग ऑपरेशन करने के काम से संबंधित सभी लोग कानून के अनुसार दंड के भागी हो सकते हैं।

27 फरवरी, 2012 / 15 नवम्बर 2012